

**न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला -बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-689 / 2009  
 संस्थित दिनांक-23.11.2009  
 फाईलिंग क.234503000632009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,  
 कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-पुरुषोत्तम पट्टावी वल्द महंगलाल पट्टावी, उम्र-28 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम कदला, थाना गढ़ी,  
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-बुधराम वल्द गौथर सिंह, उम्र-27 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी-ग्राम कदला, थाना गढ़ी,  
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-15/12/2015 को घोषित)**

1- आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-29, 35(6)(8) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-04.09.2009 को समय शाम 4:30 बजे स्थान वन परिक्षेत्र भैंसानघाट कान्हा नेशनल पार्क कोर जोन के कक्ष क्रमांक-104 बीट देवरीदादर के भीतरी पानी में अन्य आरोपी के साथ मिलकर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से आयुध कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश किया एवं उस समय उक्त स्थान से अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के 22 माहुल बक्कल निकाले, जिससे वन्य प्राणियों के निवास स्थान को नष्ट किया या बिगाड़ा।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-04.09.2009 को वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट के अधिनस्थ कर्मचारी गश्ती के दौरान कान्हा नेशनल पार्क के अंदर कक्ष क्रमांक-104 में देवरीदादर बीट के भीतरीपानी नामक स्थान

पर आरोपीगण अवैध रूप से प्रवेश कर माहुल बक्कल निकालते हुए दिखाई दिए, जिन्हें घटनास्थल पर वन कर्मचारियों द्वारा घेराबंदी कर मय माल कुल्हाड़ी के पकड़ा गया। आरोपीगण द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया। आरोपीगण से 22 कि.ग्रा. माहुल बक्कल तथा 2 नग कुल्हाड़ी घटनास्थल से जप्त की गई। आरोपीगण से पूछा गया कि पार्क के अंदर प्रवेश करने एवं माहुल बक्कल निकालने का कोई अनुज्ञापत्र है, तब आरोपीगण ने बताया कि उनके पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं है, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-2937/12, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972, धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) सहपठित धारा-50, 51 व 51 (सी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-29, 35(6)(8) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-04.09.2009 को समय शाम 4:30 बजे स्थान वन परिक्षेत्र भैंसानघाट कान्हा नेशनल पार्क कोर जोन के कक्ष क्रमांक-104 बीट देवरीदादर के भीतरीपानी में अन्य आरोपी के साथ मिलकर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से आयुध कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के 22 माहुल बक्कल काटकर वन्य प्राणियों के निवास स्थान को नष्ट किया या बिगाड़ा ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- वन परिक्षेत्र अधिकारी सी.आर. उइके (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-04.09.2009 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वन परिक्षेत्र सहायक ने अपनी

गश्तीदल के साथ भीतरीपानी के कक्ष क्रमांक-104 में गश्ती के दौरान दो आदमियों से माहुल बक्कल निकालते हुए पकड़ा था, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम एवं बुधराम, निवासी ग्राम कदला, थाना मलाजखण्ड का निवासी होना बताया था। आरोपी पुरुषोत्तम से 12 किलो माहुल बक्कल एवं एक कुल्हाड़ी की जप्त कर साक्षी संतनसिंह व मिलाप के समक्ष जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी संतन व मिलाप, लवकुश एवं सेवक के समक्ष भैंसानघाट के डिप्टी रेंजर नूर मोहम्मद ने स्थल का पंचनामा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी पुरुषोत्तम एवं बुधराम से साक्षी संतन एवं मिलाप के समक्ष वनरक्षक चित्रकुमार घोरमारे ने जप्त की गई वस्तु का जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-2937/12 जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त दिनांक को आरोपी पुरुषोत्तम ने उसके समक्ष गवाह संतनसिंह व मिलाप की उपस्थिति में वन परिक्षेत्र सहायक भैंसानघाट नूर मोहम्मद को अपने इकबालिया बयान दिये थे, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी बुधराम ने उसके समक्ष साक्षी संतन एवं मिलाप की उपस्थिति में वन परिक्षेत्र सहायक भैंसानघाट को अपना इकबालिया बयान प्रदर्श पी-6 के ए से ए भाग के कथन दिए थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अपने बयान में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया था। उक्त दिनांक को उसके समक्ष वनरक्षक चित्रकुमार घोरमारे ने वन परिक्षेत्र सहायक भैंसानघाट को अपने बयान दिए थे, जो प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वन परिक्षेत्र सहायक भैंसानघाट ने उसके समक्ष साक्षी संतन एवं मिलाप की उपस्थिति में आरोपी पुरुषोत्तम एवं बुधराम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 एवं 9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी पुरुषोत्तम एवं बुधराम को गिरफ्तार कर उसकी सूचना थाना प्रभारी गढ़ी को दी गई थी, जो प्रदर्श पी-10 एवं प्रदर्श पी-11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण की गिरफ्तारी के संबंध में उनके परिवार के सदस्यों को की सूचना उसके द्वारा दी गई थी, जो प्रदर्श पी-12 एवं प्रदर्श पी-13 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को साक्षी संतनसिंह एवं मिलाप के बयान आरोपीगण की उपस्थिति में परिक्षेत्र सहायक भैंसानघाट द्वारा उसके समक्ष

लेखबद्ध किये गए थे, जो प्रदर्श पी-14 एवं प्रदर्श पी-15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को घटनास्थल का मौकानक्शा वन परिक्षेत्र सहायक द्वारा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी-16 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने वन परिक्षेत्र अधिकारी के रूप में अभियोगपत्र पेश किया है और प्रकरण की विवेचना सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी नूर मोहम्मद के द्वारा की गई है। साक्षी ने मामलों में परिवाद पेश करने और जप्ती कार्यवाही व विवेचना के दौरान तैयार दस्तावेजों पर प्रतिहस्ताक्षर कर समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

8— जप्ती अधिकारी चित्रकुमार घोरमारे (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.09.2009 को भीतरीपानी नामक स्थान पर वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। उस दिन वह गश्ती के दौरान भीतरीपानी में एक अन्य वनरक्षक एवं तीन वन श्रमिक के साथ घूम रहा था। भीतरीपानी कान्हा टायगर रिजर्व का कोर जोन क्षेत्र है। उक्त स्थान पर आम आदमी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता है। गश्ती के दौरान उक्त क्षेत्र में उसे कुछ आवाजें आईं तो उसने घेराबंदी कर वहां जाकर दो लोगों को पकड़े। उनसे पूछने पर उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम व बुधराम बताया था। वे दोनों कुल्हाड़ी से माहुल पेड़ की रस्सी निकाल रहे थे। आरोपीगण के पास से एक-एक कुल्हाड़ी जप्त किये थे। आरोपीगण के पास से कुल 30 किलो बक्कल जप्त किये थे। आरोपीगण के पास उस क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। उसके द्वारा आरोपीगण से एक-एक कुल्हाड़ी, माहुल बक्कल जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण के विरुद्ध उसके द्वारा पी.ओ.आर क्रमांक-2937/12, दिनांक-04.09.2009 काटी गई थी, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपनी हस्तलिपि में बयान प्रदर्श पी-7 अपने वरिष्ठ अधिकारी को लिखकर दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रदर्श पी-1 का पंचनामा तैयार किया गया था, जिस पर उसके एवं आरोपी के हस्ताक्षर हैं।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी पुरुषोत्तम से 22 किलोग्राम बक्कल एवं आरोपी बुधराम से 20 किलोग्राम बक्कल जप्त किये थे। इस प्रकार साक्षी ने जप्तशुदा बक्कल के वजन के संबंध में जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 से हटकर कथन किये हैं, किन्तु इस तथ्य से जप्तशुदा बक्कल की जप्ती



कार्यवाही को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने कान्हा टायगर रिजर्व का कोर जोन क्षेत्र में आरोपीगण से घटना के समय बक्कल की जप्ती किये जाने और आरोपीगण के द्वारा उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से बिना अनुज्ञा के प्रवेश किये जाने के तथ्य का समर्थन किया है।

10— विवेचक नूर मोहम्मद खान (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.09.2009 को वन परिक्षेत्र सहायक गढ़ी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वे गश्ती दल के साथ भीतरीपानी के कक्ष क्रमांक-104 जो देवरीदादर बीट में गश्ती कर रहे थे, जहां पर दो आदमी माहुल बक्कल निकालते हुए दिखाई दिए, तब उन्होंने गश्तीदल के साथ चारों तरफ से घेराबंदी कर उनका नाम व पता पूछा, तो उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम व बुधराम तथा निवासी ग्राम कदला बताया था। मौके पर आरोपी पुरुषोत्तम से 12 किलो माहुल बक्कल एवं एक कुल्हाड़ी तथा आरोपी बुधराम से 10 किलो माहुल बक्कल व एक कुल्हाड़ी जप्त किया तथा जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसे साक्षी संतन व मिलाप की उपस्थिति में वनरक्षक देवरीदादर द्वारा उसके समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल जिस वृक्ष के माहुल बक्कल काटकर निकाला गया था, वे वृक्ष ताजे पाए गए थे, उस स्थल का स्थल पंचनामा साक्षियों के समक्ष उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी पुरुषोत्तम व बुधराम के इकबालिया बयान साक्षियों की उपस्थिति में उसके द्वारा लेखबद्ध किये गए थे, जो प्रदर्श पी-5 व 6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वनरक्षक चित्रकुमार घोरमारे ने उसके समक्ष अपना बयान लेखबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आरोपीगण को साक्षी संतनसिंह व मिलाप की उपस्थिति में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 व 9 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को साक्षी संतनसिंह व मिलाप के बयान उनके बताए अनुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किये गए थे, जिसमें उसने अपने तरफ से कुछ जोड़ा-घटाया नहीं था, जो प्रदर्श पी-14 एवं 15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-16 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपीगण से जप्त

बक्कल का वजन वह अंदाज से बता रहा है। साक्षी का स्वतः कथन है कि नाप नहीं किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण के कथन लेते समय वन परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर नहीं थे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी सी.आर. उइके (अ.सा.1) ने भी यह कथन नहीं किया है कि वह इकबालिया बयान के समय मौके पर था, बल्कि साक्षी ने इकबालिया बयान पर उसके प्रतिहस्ताक्षर करना बताया है। मामलें में की गई संपूर्ण विवेचना कार्यवाही के संबंध में उक्त विवेचक के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपीगण के इकबालिया बयान सहित मामलें में की गई संपूर्ण विवेचना कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

13— सन्तनसिंह आरमो (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दोनों आरोपीगण को जानता है, जो ग्राम कदला के निवासी है। दिनांक-04.09.2009 को वे कैम्प देवरी दादर से गश्ती करते-करते घटनास्थल भीतरीपानी गये, जहां दो व्यक्ति भीतरीपानी में माहुल बक्कल काटते दिखे। दोनों व्यक्तियों को पकड़कर उनसे नाम पूछे तो उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम और बुधराम बताये थे। बक्कल काटने के लिए उनके पास कोई कागज नहीं था। आरोपी पुरुषोत्तम के पास से एक कुल्हाड़ी बेसा सहित एवं 12 किलो माहुल बक्कल तथा आरोपी बुधराम के पास से दस किलो माहुल बक्कल और एक बेसा सहित कुल्हाड़ी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष प्रदर्श पी-2 का पंचनामा बनाया गया था और आरोपीगण से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उसके समक्ष आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. काटा गया था। आरोपीगण के बयान प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 उसके समक्ष लेख किये गए थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-14 वन अधिकारी को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह वन श्रमिक के पद पर कार्यरत है और घटना के समय गश्ती दल में शामिल था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय उनको देखकर बक्कल निकालने वाले लोग भाग रहे थे, तो आरोपीगण को वनरक्षक ने पकड़ा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके समक्ष प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के कथन नहीं दिए थे। साक्षी

का यह कथन है कि सामान्यतः हंसिया से बक्कल काटा जाता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण से हंसिया जप्त नहीं किया गया था। साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण रूप से खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके सामने आरोपीगण का बयान लेखबद्ध किये जाने की कार्यवाही को छोड़कर शेष सभी कार्यवाही का समर्थन किया है।

15— मिलाप सिंह मरकाम (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वन गश्ती में वनरक्षक के साथ कक्ष क्रमांक-104 बीट देवरीदादर में दो व्यक्तियों को बक्कल काटते आरोपीगण को पकड़ा गया था। उसके समक्ष पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था तथा एक आरोपी से 12 किलो बक्कल, कुल्हाड़ी सहित तथा दूसरे आरोपी से 10 किलो बक्कल, कुल्हाड़ी सहित जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर प्रदर्श पी-4 काटा गया था और आरोपीगण ने उसके सामने अपना बयान प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने बक्कल का वजन डिप्टी साहब के बताए अनुसार बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि मामलों में पी.ओ.आर. नूरखान डिप्टी साहब ने काटा था और उसके कहने पर ही उसने प्रदर्श पी-4 पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके सामने कोई जुर्म कबूल नहीं किया। इस प्रकार साक्षी ने उसके सामने आरोपीगण का बयान लेखबद्ध किये जाने की कार्यवाही को छोड़कर शेष सभी कार्यवाही का समर्थन किया है।

16— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जप्ती अधिकारी चित्रकुमार घोरमारे (अ.सा.3) ने घटना के समय आरोपीगण के आधिपत्य से बक्कल जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। उक्त जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अन्य सभी साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में की है। उक्त सभी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का खण्डन नहीं किया गया है। जप्ती अधिकारी के द्वारा उक्त जप्ती की कार्यवाही कान्हा रिजर्व टायगर के कोर जोन में की गई है, इस कारण मौके पर जप्ती की कार्यवाही के समय स्वाभाविक है कि विभागीय साक्षीगण के अलावा अन्य स्वतंत्र साक्षी की उक्त

प्रतिबंधित क्षेत्र में उपलब्धता न होने से स्वतंत्र साक्षीगण को शामिल नहीं किया गया है और विभागीय साक्षीगण को पंच साक्षी के रूप में शामिल किये जाने मात्र से ही उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता और न ही इस आधार पर जप्ती अधिकारी की कार्यवाही पर संदेह किया जा सकता है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी की जप्ती कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित होती है।

17— मामले में आरोपी पुरुषोत्तम के बयान प्रदर्श पी-5, बुधराम के बयान प्रदर्श पी-6 में यह लेख है कि उक्त आरोपीगण ने मिलकर कान्हा पार्क के अंदर प्रवेश कर भीतरीपानी नामक प्रतिबंधित क्षेत्र में माहुल बक्कल निकाला, जिसे वन विभाग वालों ने जप्त किया है। उक्त आरोपीगण ने कान्हा पार्क के अंदर अवैध प्रवेश कर प्रतिबंधित क्षेत्र से वन्य संपत्ति माहुल बक्कल निकालने का अपराध स्वीकार किया है। उक्त आरोपीगण से उक्त वन्य संपत्ति की बरामदगी प्रमाणित की गई है तथा इस संबंध में भी आरोपीगण ने उक्त अपराध किये जाने के संबंध में इकबालिया बयान दिया है, जिसे भी अभियोजन की ओर से प्रमाणित किया गया है।

18— आरोपीगण के द्वारा की गई उक्त अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छया से की जाना प्रकट होती है। मामलों की परिस्थिति से यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि उक्त संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है। इस प्रकार जप्ती कार्यवाही, पंचनामा एवं अन्य साक्षीगण के बयान एवं परिवाद के अनुरूप न्यायालयीन कथन से अभियोजन मामलों में संदेह किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

19— आरोपीगण की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मामले में जप्तशुदा वन्य सामग्री का परीक्षण नहीं कराया गया है। मामलों में वन अधिकारी के द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गई है तथा जप्तशुदा वन सामग्री के संबंध में जप्ती अधिकारी एवं अन्य वन अधिकारी ने एक मत में वन्य संपत्ति माहुल बक्कल के रूप में पहचान की है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **भोलाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2014(5) एम.पी.एच.टी. 279** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वन अधिकारी की मौखिक साक्ष्य कि जप्त सामग्री वन्य सामग्री है, पर्याप्त होती है।

20— वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-57 के अंतर्गत जहां इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति



किसी बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस, ट्रॉफी या अशोधित ट्रॉफी, विनिर्दिष्ट पौधे या उनके भाग या उनसे प्राप्त वस्तु को अपने कब्जे में रखा है, तब जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता, जिसको सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह अनुमान किया जाएगा कि उक्त व्यक्ति बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस, ट्रॉफी या अशोधित ट्रॉफी, विनिर्दिष्ट पौधे या उनके भाग या उनसे प्राप्त वस्तु को अपने अवैधानिक कब्जे में रखा है। इस मामले में आरोपीगण से वन संपत्ति माहुल बक्कल जप्त होना प्रमाणित है। इस कारण यह उपधारणा की जा सकती है कि आरोपीगण के पास उक्त वन संपत्ति अवैध रूप से आधिपत्य में एवं अभिरक्षा में पाई गई है।

21— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपीगण ने कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुज्ञा के कान्हा नेशनल पार्क में प्रवेश कर अपराध किया है। उक्त के अलावा आरोपीगण के पास वन्य संपत्ति माहुल बक्कल काटा जाना और उनके अवैध आधिपत्य में होने से तथा उक्त अपराध की संस्वीकृति से आरोपीगण के द्वारा अधिनियम की धारा-29 एवं धारा-35(6)(8) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान से वन्य संपत्ति माहुल बक्कल को काटकर वन्य प्राणियों के निवास स्थान को नष्ट करने और बिगाड़ने का अपराध किया गया है।

22— आरोपीगण के द्वारा अधिनियम की धारा-51 के परंतुक के अंतर्गत अनुसूची-1 या 2 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट किसी पशु के मांस के संबंध में अपराध कारित किया जाना प्रकट नहीं होने से या राष्ट्रीय उद्यान में शिकार या सीमा परिवर्तन से संबंधित अपराध न होने से मामलों में उक्त परंतुक आकर्षित नहीं होता है।

23— उक्त सभी कारण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने दिनांक-04.09.2009 को समय शाम 4:30 बजे स्थान वन परिक्षेत्र भैंसानघाट कान्हा नेशनल पार्क कोर जोन के कक्ष क्रमांक-104 बीट देवरीदादर के भीतरी पानी में अन्य आरोपी के साथ मिलकर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से आयुध कुल्हाड़ी के साथ प्रवेश किया एवं उस समय उक्त स्थान से अवैध रूप से बिना अनुज्ञा के 22 माहुल बक्कल निकाले, जिससे वन्य प्राणियों के निवास स्थान को नष्ट किया या बिगाड़ा। अतः आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-29, 35(6)(8) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

24— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

25— आरोपीगण व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उक्त आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वह वर्ष 2009 से विचारण का सामना कर रहे हैं, तथा उनके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। अतः उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।

26— प्रकरण में आरोपीगण मामले में वर्ष 2009 से विचारण कर रहे हैं तथा उनके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। अतएव उक्त संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति को देखते हुए प्रत्येक आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-29, 35(6)(8) के अंतर्गत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 2,000/-रुपये (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपीगण के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उन्हें दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

27— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

28— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट